मंडल की 30 जून 2021 को हुई बैठक में लिए गये निर्णय

अनु. क्र.	संकल्प संख्या	विषय	लिए गये निर्णय	विभाग/ प्रभाग
1.	67	27 मई 2021 को आयोजित मंडल की बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि.	मंडल की 27.5.2021 को हुई बैठक के कार्यवृत्त की आशोधनों के साथ पुष्टि की जाती है.	सामान्य प्रशासन
2.	68	वास्तविक गलती को माफी के लिए अनुरोध - नीलामी बिक्री सं. 2102 दिनांक 6.4.2021.	चर्चा के बाद, मंडल ने मेट्रो एंटरप्रायजेस के अनुरोध पर विचार न करने तथा ₹11,73,645 की बयाना धन जमा राशि को जब्त करने का निर्णय लिया.	यातायात
3.	69	एकता नगर, वाडी बंदर स्थित इमारत सं. 7, 8, 9 तथा 10 का विध्वंस.	चर्चा के बाद, मंडल ने एकता नगर, वाडी बंदर कॉलोनी स्थित इमारत सं. 7, 8, 9 तथा 10 के विध्वंस को अनुमोदन प्रदान किया.	स्थापत्य अभियांत्रिकी
4.	70	(1) बंदरगाह दीवार घाटों (एचडब्ल्यूबी) का पीपीपी तरीके से पुनर्विकास - मेसर्स राईटस् को प्रदान की गई व्यवहार सलाहकारी परामर्शदाता संविदा का मोचननिषेध. (2) पीपीपी तरीके से अपतटीय बहुद्देशीय पोतभार घाट (ओएमसीबी) का विकास - परियोजना को स्थगित रखना तथा परामर्शदाता मेसर्स टेराकॉन इकोटेक प्रा. लि. को प्रदान की गई पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन संविदा का मोचननिषेध करना.	चर्चा के बाद, मंडल ने निम्नलिखित को अनुमोदन प्रदान किया - (i) ओएमसीबी परियोजनाओं के पीपीपी तरीके से क्रियान्वयन को स्थगित रखना; (ii) ओएमसीबी परियोजना हेतु परामर्शदाता मेसर्स टेराकॉन इकोटेक प्रा.लि. को प्रदान की गई इआइए अध्ययन संविदा का मोचननिषेध करना, तथा (iii) मेसर्स राईटस् को प्रदान की गई व्यवहार सलाहकार संविदा का मोचननिषेध करना तथा उन्हें ₹50,000 की बयाना धन जमा राशि तथा ₹3,50,000 राशि की समाप्त बैंक गारंटी लौटाना.	स्थापत्य अभियांत्रिकी
5.	71	व्हीटीएमएस उपकरण के नये लाइसेंस हेतु नवीनीकरण/आवेदन करने के लिए एजेंसी नियुक्त करने को मंजूरी.	मंडल ने निम्नलिखित को कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया - (i) नामांकन आधारपर फिडॅटोमरीन की नियुक्ति करना तथा सुविधा प्रभारों	संयुक्त निदेशक

अनु. क्र.	संकल्प संख्या	विषय	लिए गये निर्णय	विभाग/ प्रभाग
			के रुप में ₹11,33,000 की कुल लागत पर (3% आकस्मिकताओं को सम्मिलित करके परंतु जीएसटी को छोडकर; जीएसटी का भुगतान यथा लागू दरों पर किया जायेगा) फिडॅटोमरीन पर आदेश जारी करना. (ii) बैंक गारंटी के प्रति 50% अग्रिम भुगतान करना.	
6.	72	'अजय' तथा 'अनंत' हारबर टगों के निपटान के लिए मंजूरी.	चर्चा के बाद, मंडल ने निम्नलिखित को अनुमोदन प्रदान किया - (i) "जहाँ है जैसे भी है आधार पर" यांत्रिक तथा विद्युत अभियांत्रिकी विभाग के सामग्री प्रबंधन प्रभाग के जरिए मुंपोट्र हारबर टगों 'अजय' तथा 'अनंत' का निपटान करना; तथा (ii) जहाज कर्मियों को अन्य प्रचालन जलयानों पर रिडिप्लॉय करना.	समुद्री
7.	73	श्री यशोधन वनगे, पूर्व उपाध्यक्ष द्वारा अधिकारिक निवास स्थान के अधिभोग को जारी रखने हेतु विस्तार.	चर्चा के बाद, मंडल ने 30.4.2021 तक श्री यशोधन वनगे, पूर्व उपाध्यक्ष द्वारा 5, दुग्गल हाऊस का प्रतिधारण करने तथा 1.4.2021 से 30.4.2021 तक पहले के न्यासी संकल्प में यथा अनुमोदित उसी किराये को प्रभारित करने के लिए कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया.	कल्याण
8.		भविष्य निधि धन का प्रबंधन.	मंडल ने प्रस्ताव को स्थगित रखा.	वित्त
9.	74	वर्ष 2020-2021 के लिए प्रशिक्षु अधिनियम, 1961 के अधीन मुंबई पोर्ट ट्रस्ट में 11 संख्या स्नातक/तकनीशियन तथा 30 संख्या कंप्युटर प्रचालक तथा प्रोग्रामिंग सहायक (कोपा) ट्रेड प्रशिक्षुओं की प्रस्तावित नियुक्ति.	चर्चा के बाद, मंडल ने निम्नलिखित को अनुमोदन प्रदान किया - (i) 30 संख्या कोपा ट्रेड प्रशिक्षुओं तथा यांत्रिकी तथा विद्युत अभियांत्रिकी के क्षेत्र में 11 संख्या स्नातक/तकनीशियन प्रशिक्षुओं को नियुक्त करना.	यांत्रिक तथा विद्युत अभियांत्रिकी

अनु. क्र.	संकल्प संख्या	विषय	लिए गये निर्णय	विभाग/ प्रभाग
			(ii) प्रशिक्षु अधिनियम, 1961 के अनुसार, जैसा कि अनिवार्य है, वित्तीय वर्ष 2021-22 में, उक्त प्रशिक्षुओं के वृत्तिका भुगतान पर लगभग ₹30 लाख के व्यय को उठाना. (iii) कोपा तथा स्नातक/तकनीशीयन संवर्गों में प्रशिक्षुता प्रशिक्षण के लिए भविष्यलक्षी प्रत्याशियों से आवेदन आमंत्रित करने हेतु प्रेस समाचारों में आवश्यक विज्ञापन जारी करना तथा मुंपोट्र की वेबसाईट तथा प्रशिक्षुता प्रशिक्षण वेबसाईट पर अधिसूचना अपलोड करना तथा मुंपोट्र में कार्यरत सभी कर्मचारियों को भी सूचना हेतु व्यापक प्रसिध्दि देना. (iv) जैसा कि न्या. सं. सं.55 दिनांक 25.6.2019 द्वारा न्यासी मंडलने पहले ही अनुमोदित किया है, आवेदन शुल्क की लागत ₹100 निर्धारित करना. (v) न्या. सं. सं.55 वर्ष 2019 द्वारा यथा अनुमोदित अलगसी गुणवत्ता सूची तैयार करके मुंपोट्र कर्मचारियों के पाल्यों को वरियता देना. (vi) यदि लक्ष्य तक पहुँचने के लिए प्रत्याशियों की कमी महसूस हुई तो आरडीएसडीई तथा बीओएटी के साथ ऑनलाइन सीधे पंजीकृत हुए हैं तथा अब तक किसी अन्य स्थापना में नियुक्त नहीं हुए हैं ऐसे प्रत्याशियों का 'पहले आओ पहले पाओ आधार पर' कमी को पूरा	

अनु. क्र.	संकल्प संख्या	विषय	लिए गये निर्णय	विभाग/ प्रभाग
			करने के उद्देश्य से विचार करना जिस के लिए, जैसा कि न्या.सं.सं 55 दिनांक 25.6.2019 के तहत न्यासी मंडल द्वारा यथा अनुमोदित है, आगे और किसी अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी. (vii) यदि भारत सरकार द्वारा संशोधित किया गया तो मंडल से आगे कोई अनुमोदन की आवश्यकता के बिना कोपा तथा स्नातक/तकनीशियन प्रशिक्षुओं की मासिक वृत्तिका को संशोधित करना.	
10.	75	अंतर्राष्ट्रीय क्रुज टर्मिनल, बीपीएक्स स्थित ड्युटी फ्री शॉप को संचालित करने के लिए, लाइसेंस अवधि के विस्तार हेतु भारत पर्यटन विकास निगम लि. द्वारा अनुरोध.	चर्चा के बाद, मंडल ने ₹4190.73 (पूर्ववर्ती दर के उपर 4% वार्षिक वृध्दि के साथ) प्रति चौ. मीटर अथवा उसके भाग पर प्रति माह अथवा उसके भाग पर लागू करों को जोडकर के दर से लाइसेंस शुल्क का भुगतान करने पर मुंबई अंतर्राष्टिय क्रूज टर्मिनल, बीपीएक्स स्थित ड्युटी फ्री शॉप को संचालित करने हेतु आइटीडीसी को 30 चौ.मी . मापन के एक क्षेत्र के लिए 29.6.2021 से 28.5.2022 इन 11 महीनों तक अथवा पीपीपी प्रचालक द्वारा एमआइसीटी टर्मिनल के सम्पूरण/कब्जे में लेने तक आगे विस्तार प्रदान करने हेतु अनुमोदन दिया. फ्लेमिंगो ड्युटी फ्री शॉप प्रा.लि. के लिए लाइसेंस शुल्क को भी 29.6.2021 से ₹4190.73 ऐसा संशोधित किया जाए.	यातायात
11.	76	18 से 44 वर्ष के बीच के मुंपोट्र कर्मचारियों के लिए तथा नाविकों के लिए कोविड-19 टीकाकरण हेतु कॉर्पोरेट गठबंधन.	मंडल ने निम्नलिखित को कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया - (i) 18 से 44 वर्ष आयु के बीच के मुंपोट्र कर्मचारियों को (स्वास्थ्य	चिकित्सा

अनु. क्र.	संकल्प संख्या	विषय	लिए गये निर्णय	विभाग/ प्रभाग
			देखभाल कर्मियों, अगडी पंक्ति के कर्मियों को छोडकर) किसी भी कोविड टीकाकरण केंद्र में टीका लगवा लेने के लिए अनुमति देना तथा उसका भुगतान उनके द्वारा किया जाएगा तथा बाद में मुंपोट्र द्वारा उनको खर्च की प्रतिपूर्ति करने की अनुमति दी जाएगी, (ii) कॉर्पोरेट अस्पतालों के साथ गठबंधन करने के द्वारा तथा मुंपोट्र द्वारा अग्रिम भुगतान करके सभी नाविकों के लिए (स्वास्थ्य देखभाल कर्मियों तथा अगडी पंक्ति के कर्मियों को छोडकर 18 से 44 वर्ष आयुगुट के बीच के मुंपोट्र कर्मचारियों के अतिरिक्त) मुंपोट्र द्वारा ऑनसाईट टीकाकरण की व्यवस्था करना. (iii) सभी स्वास्थ्य देखभाल कर्मियों, अगडी पंक्ति के कर्मियों तथा 45 वर्ष से अधिक आयु के कर्मचारियों तथा उनके आश्रित परिवार सदस्य मुंपोट्र अस्पताल टीकाकरण केंद्र अथवा अन्य किसी भी बृहन्मुंबई मनपा टीकाकरण केंद्र से निशुल्क टीकाकरण सेवा का लाभ लें, तथा (iv) टीकाकरण की आवश्यकता है ऐसे नाविकों की सूची मुहैया कराने के लिए यातायात प्रबंधक तथा उपसंरक्षक सभी जहाज एजेंसीयों को पत्र लिखें ताकि मुंपोट्र द्वारा टीकाकरण की व्यवस्था की जाए.	
12.	77	टेम्प की गजट अधिसूचना दिनांक 12.4.2021 में संशोधन मुंपोट्र में	कार्यसूची के अनुसार संशोधन मुद्दे को टेम्प के पास ले जाने के लिए मंडल ने	संपदा/वित्त

अनु. क्र.	संकल्प संख्या	विषय	लिए गये निर्णय	विभाग/ प्रभाग
		अधिसूचित "इ-निलामी तथा इ-निविदा आधार पर आबंटित किये जानेवाले 9 रिक्त भूखंडों के दरमान".	अनुमोदन प्रदान किया.	
13.	78	मुंपोट्र संपत्तियों के मूल्यांकन हेतु मूल्यांककों के पैनल सूची की अवधि का विस्तार.	मंडल ने मुंपोट्र के पैनल सूची पर हैं ऐसे दो मूल्यांककों, अर्थात श्री अविनाश पेंडसे तथा महेश शेट्टी कंसल्टंटस् की पैनल की अवधि को शेष झोन्स/ भूखंडों के मूल्यांकन कार्य हेतु वर्ष 2018 में उक्त मूल्यांककों द्वारा जो दर प्रस्ताव रखा गया था उसी दर पर नामंकन आधारपर अर्थात ₹5 प्रति चौ. मीटर (जीएसटी को छोडकर) भूमि के लिए, ₹3 प्रति चौ. मीटर (जीएसटी को छोडकर) संरचना के लिए, तथा ₹2 प्रति चौ.मीटर (जीएसटी को छोडकर) बेसिन के लिए, ऐसे 3 महीनों की अवधि अर्थात 14.6.2021 से 13.9.2021 तक बढाने के लिए कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया.	संपदा
14.	79	मुंपोट्र के दो पाइलट लाँचों 'पूर्वा' तथा 'प्राची' के प्रचालन तथा अनुरक्षण को तीन वर्षो के लिए तथा आगे और दो वर्षो के लिए विस्तारणीय अवधि हेतु आउटसोर्सिंग करना.	मंडल ने निम्नलिखित को अनुमोदन प्रदान किया - (i) पाइलट लाँचों 'पूर्वा तथा प्राची' का 3 वर्षों के लिए तथा आगे और 2 वर्षों के लिए विस्तारणीय अवधि हेतु ₹5.8 करोड की अनुमानित लागत पर जिसमें 18% जीएसटी तथा 3 वर्षों के लिए 3% आकस्मिकताओं को सम्मिलित कर प्रचालन तथा अनुरक्षण का आउटसोर्सिंग करना तथा लाँचों के लिए बजट प्रावधानों से व्यय को करना (ii) सीपीपी पोर्टल तथा मुंपोट्र वेबसाईट पर प्रकाशन के द्वारा खुली	समुद्री

अनु. क्र.	संकल्प संख्या	विषय	लिए गये निर्णय	विभाग/ प्रभाग
			निविदाओं को आमंत्रित करना; तथा (iii) पाइलट लाँचों 'पूर्वा तथा प्राची' के स्टाफ को मुंपोट्र पाइलट लाँचों के प्रचालन तथा अनुरक्षण की संविदा को प्रदान किये जाने पर दो पालियों (12 घंटे) की वर्तमान व्यवस्था के बजाय तीन पालियों (8 घंटे) पर प्रचालन हेतु अन्य गोदी टगों पर रिडिप्लाय करना. **(सर्वश्री सुधाकर अपराज तथा केरसी पारेख असहमत)**	
15.	80	एमव्ही जिंदाल कामाक्षी से उतारे गये 23 क्षतिग्रस्त कंटेनरों के प्रति बकाया.	मंडल ने महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 53 के अधीन ब्याज को सम्मिलित करके ₹115.25 लाख के कुल बकाया को माफ करने/ बट्टे खाते में डालने के लिए अनुमोदन प्रदान किया बशर्ते कि एजेंट, मेसर्स जे.एम.बक्षी ॲण्ड कंपनी ₹21.70 लाख राशि के सेवाकर, जीएसटी तथा ब्याज का भुगतान करें.	यातायात
16.	81	(i) भूखंड क्षेत्र सं. 355, (ii) विस्तार चरण II उत्तर यार्ड, (iii) दक्षिण यार्ड में स्लिपवे का विस्तारण, तथा (iv) मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लि. (एमडीएसएल) को पट्टे पर दिये गये मझगांव रिक्लेमेशन इस्टेट स्थित ज्यादा स्लिपवे के लिए अतिरिक्त जल क्षेत्र के संबंध में पट्टो के नवीनीकरण संबधी मूल्यांकन. -भूमि आबंटन समिति द्वारा समीक्षा.	मंडल ने दो भूखंडों धारण कोड संख्या 20801642 (क्षेत्रफल 1960.93 चौ. मीटर संपूर्णत: जमीन) तथा कोड संख्या 20801652 (क्षेत्रफल 1850 चौ. मी. संपूर्णत: जलक्षेत्र) के संबंध में श्री अविनाश पेंडसे, मुंपोट्र पैनल पर रखे गये मूल्यांकक द्वारा स्वंतत्र मूल्यांकन किये जाने के लिए अनुमोदन प्रदान किया.	संपदा
17.	82	श्री सुरेश नारायणराव मारणे, पूर्व किनारा कामगार, यातायात विभाग, पहचान पत्र	मंडल ने श्री सुरेश ना. मारणे, पूर्व किनारा कामगार, यातायात विभाग, को	यातायात

अनु. क्र.	संकल्प संख्या	विषय	लिए गये निर्णय	विभाग/ प्रभाग
		संख्या 86255, के विरुध्द अनुशासनिक कार्रवाई.	एक वर्ष की अवधि के लिए उसकी पेंशन का 10% रोकने का दण्ड लगाने को प्रस्तावित कर उसे कारण बताओ ज्ञापन जारी करने के लिए अनुमोदन प्रदान किया.	
18.	83	ऍक्सेस कंट्रोल सिस्टम - उप ठेकेदारी तथा समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के लिए मंजूरी.	मंडल ने निम्नलिखित को अनुमोदन प्रदान किया - (i) धारा 3.4 के अनुसार विषयाधीन परीयोजना के लिए विप्रो के उप-ठेकेदार के रुप में इआइएनएस की नियुक्ति, तथा (ii) टिप्पणी में यथा उल्लिखित, मुख्य यांत्रिक अभियंता को संशोधन के साथ, यदि कोई हो, त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की शक्ति प्रदान करना.	संयुक्त निदेशक
19.	84	श्री नरेंद्र वालावलकर, वरिष्ठ अधिवक्ता को बिलों का भुगतान.	मंडल ने शक्तियों के प्रत्यायोजन के अनुसार श्री नरेंद्र वालवलकर, वरिष्ठ अधिवक्ता को रु 20,50,000 (बीस लाख पचास हजार रुपये) राशि के बिलों का भुगतान करने के लिए अनुमोदन प्रदान किया.	विधि
20.	85	जीएलसी कोड 752 (60 करोड) से अन्य जीएलसी कोडों में निधि का पुनर्विनियोजन.	मंडल ने वित्तिय वर्ष 2021-22 के लिए बजट प्राकलन में शुन्य/अपर्याप्त बजट प्रावधान के कारण भंडार, कार्यालय तथा प्रशासनिक सेवाएँ, प्रचालन तथा अनुरक्षण सेवाएँ, सुरक्षा सेवाएँ तथा भंडार चिकित्सा से संबंधित व्यय चिकित्सा विभाग की विविध जीएलसी कोड संख्याओं के अधीन अस्पताल परियोजना को रियायतग्राही को सुपुर्द किये जाने तक या संशोधित बजेट प्राक्कलन 2021-22 को अंतिम रुप दिये जाने तक, इसमें से जो भी पहले हो, हुए	चिकित्सा

अनु. क्र.	संकल्प संख्या	विषय	लिए गये निर्णय	विभाग/ प्रभाग
			व्यय के लिए जीएलसी कोड 752 (60 करोड) से अन्य जीएलसी कोडों में निधि का पुनर्विनियोजन करने के लिए टिपण्णी के परिच्छेद 8 में दी गई वित्तीय सलाहकार तथा मुख्य लेखा अधिकारी की टिप्पणी सहित अनुमोदन प्रदान किया.	
21	86	और अधिक संख्या में निजी सुपरस्पेश्यालिटी अस्पतालों/ निदान केंद्रों को पैनल सूची में रखना.	मंडल ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये जाने कि तिथि से अथवा मुंपोट्र अस्पताल में सुपरस्पेश्यालिटी सेवाएँ स्थापित किये जाने तक, इसमें से जो भी पहले हो, से दो वर्षों की अवधि हेतु, मुंपोट्र के लाभार्थियों को क्रेडिट आधारपर स्पेश्यालिटी सेवाएँ/निदान सेवाएँ रेडियोलॉजी तथा पॅथोलॉजी दोनों मुहैया करने के लिए निम्नलिखित अस्पतालों / निदान केंद्रों को मुंबई पोर्ट ट्रस्ट अस्पताल के पैनल के अधीन पैनल सूची में रखने के लिए अनुमोदन प्रदान किया : (i) अॅपेक्स ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स (पैरा 8 (i)), (ii) मेडकेअर इंस्टिट्युट ऑफ डायगनॉस्टिक्स (पैरा 8 (ii)), तथा (iii) शुश्रुषाज सुमन रमेश तुलसियानी हॉस्पिटल (पैरा 8 (iii))	चिकित्सा
22		आइलैण्ड क्रुज (हॉपिंग) टूर हेतु रुचि की अभिव्यक्ति.	कार्यसूची स्थगित की है.	समुद्री
23	87	27 मई 2021 को हुई मंडल की बैठक में लिए गए निर्णयों पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट.	मंडल ने 27 मई 2021 को हुई मंडल की बैठक में लिए गए निर्णयों पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट नोट की.	सामान्य प्रशासन
24	88	सार्वजनिक-निजी-भागिदारी (पीपीपी) तरीकें से नाविक केंद्र का विकास - संबंधी	मंडल ने सार्वजनिक-निजी-भागिदारी (पीपीपी) तरीके के अधीन विश्व स्तर की नाविक सेवाओं के साथ नाविक केंद्र की स्थापना हेतु रुचि की अभिव्यक्ति	स्थापत्य अभियंता

अनु. क्र.	संकल्प संख्या	विषय	लिए गये निर्णय	विभाग/ प्रभाग
			(इओआइ) आमंत्रित करने के लिए अनुमोदन प्रदान किया.	
25	89	पिर पाव स्थित द्वितीय रसायन घाट के ॲप्रोच चैनल को गहरा तथा चौडा करने के लिए मूल निकर्षण.	पर्यावरण अनापत्ति प्राप्त होने के बाद बोलीकर्ता व्हॅन उर्ड इंडिया प्रा.लि. को रु 61,25,81,000 जिसमें जीएसटी सम्मिलित नहीं कि राशि के कार्य को स्वीकृत तथा प्रदान करने को मंडल ने अनुमोदन दिया.	स्थापत्य अभियंता
26	90	निम्नलिखित दो परियोजनाओं हेतु 1.5.2021 से प्रभावी संशोधित दरमानों की धारा 3.3 (ए) (ii) के अधिन दरें नियत करना (i) अस्थायी साइलों का निर्माण तथा (ii) वेयरहाउसों के रुप में उपयोग हेतु 10 भूखंडों का आबंटन.	मंडल ने भूमि आबंटन समिति की निम्नलिखित सिफारिशों को अनुमोदन प्रदान किया - (i) सीमेंट, फ्लाई ॲश आदि के भंडारण हेतु अस्थायी साइलों के निर्माण के लिए उपयोग में लाये जायेंगे ऐसे 3 भूखंडों के लिए अर्थात 1.5 एकड मापन का कॉटन डिपो स्थित आरसीडी तथा प्रत्येकी 5000 चौ.मीटर मापन के पारडीवाडा, रे रोड स्थित 2 भूखंडों के लिए दरमानों की धारा 3.3 (ए) (ii) के अधीन विनिर्दिष्ट दरों के अनुसार रु 120 प्रति चौ.मीटर प्रति माह के आधार दर का विचार करना, (ii) केवल टाइप-I पोतभार के लिए (अर्थात मुंबई पोर्ट में पोतों /रेल्वेज द्वारा सम्हलाई किये गये पोतभार का भंडारण) उपयोग में लायें जानेवाले 10 भूखंडों/गोदामों/वेयरहाउसों के लिए दरमानों की धारा 3.3 (ए) (ii) के अधीन विनिर्दिष्ट दरों के अनुसार खुले क्षेत्र के लिए रु 120 प्रति चौ.मीटर प्रति माह तथा छतदार क्षेत्रों के लिए रु 159 प्रति चौ. मीटर प्रति माह के आधार दर का विचार करना.	यातायात

अनु. क्र.	संकल्प संख्या	विषय	लिए गये निर्णय	विभाग/ प्रभाग
			(iii) टाइप - II पोतभार (अर्थात मुंबई पोर्ट में पोतों / रेल्वेज द्वारा केवल पोतभार की सम्हलाई के लिए उपयोग में नहीं लाये जानेवाले) के लिए उपयोग में लाये जानेवाले भूखंडों/गोदामें/ वेयरहाउसों के लिए आधार दर के रुप में अनुमोदित मूल्यांकक द्वारा सुझाये गये दरों का (अर्थात कार्यसूची के परिच्छेद 3 में दर्शाये गये कॉलम 7 के अनुसार) विचार करना.	
27	91	समुद्री विभाग के समुद्री अभियंता के 2 स्थायी पदों का वित्त विभाग के उप मुख्य लेखा अधिकारी के रुप में अंतरण - मुंपोट्र कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता तथा पदोन्नति) विनियम, 2010 में संगत प्रावधानों में संशोधन.	महा पत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 28 के साथ पठित मुंबई पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता तथा पदोन्नति) विनियम, 2010 के विनियम 5 के प्रस्तावित संशोधन (अनुलग्नक I में यथानिर्दिष्ठ) को मंडल ने अनुमोदन प्रदान किया, बशर्ते कि उसी की धारा 124 (i) तत्रैव के अधीन सरकार की मंजूरी मिले.	सामान्य प्रशासन
28	92	श्री प्रकाश दामोदर पाटील, पूर्व किनारा कामगार, यातायात विभाग को अधिक अदा की गई रु 14,44,250 राशि की उनसे वसूली.	जब तक अधिक अदा की गयी राशि 7.75% ब्याज के साथ संपूर्णत: प्राप्त नहीं होती तब तक श्री प्रकाश दामोदर पाटील, पूर्व किनारा कामगार को देय मासिक पेंशन तथा महंगाई भत्ते का 75% तत्काल प्रभाव से रोककर रखने का मंडल ने संकल्प किया.	वित्त
